आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/कोशी प्रमंडल, सहरसा की अध्यक्षता में दिनांक 27.01.2025 नीलाम पत्र वाद की प्रगति की अद्यतन समीक्षा हेतु V.C के माध्यम से आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :–पंजी के अनुसार

सर्व प्रथम बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का परिचय प्राप्त किया गया तदुपरान्त, सभी सदस्यों के स्वागत के पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समीक्षा के क्रम में निम्न निदेश दिये गये–

- लंबित नीलाम पत्र वाद के त्वरित निष्पादन हेतु सबसे पहले पुराने/सबसे अधिक राशि वाले एवं अपूर्ण पता वाले बकायेदारों की सूची अखबार में प्रकाशित करने का निदेश दिया गया।
- दिनांक–27.01.2025 से से शुरू होने वाले सप्ताह को वारंट सप्ताह के रूप में घोषित करते हुए सघन अभियान चला कर लंबित मामले को त्वरित गति से निष्पादित करने का निदेश दिया गया है। साथ ही गाँव–गाँव में इस बात का प्रचार होना चाहिए, ताकि लोग नीलाम पत्र वाद अंतर्गत कानूनी कार्रवाई को गंभीरता से लें। इस कार्य में विकास मित्र/टोला सेवक/पंचायत सेवक/राजस्व कर्मचारी का भी सहयोग लिया जाय।
- Old Case 2000 ई0 से पहले के जितने भी लंबित वाद है उनका हर हार में अविलंब निष्पादन कर लें।
- सभी अपर समाहर्त्ता (राजस्व) एवं सभी पदाधिकारी अपने प्रगति प्रतिवेदनों की समीक्षा कर तदनुसार लक्ष्य निर्धारित करते हुए लंबित मामलों का PDR के प्रावधानों/विभागीय पत्रों/परिपत्रों के आलोक में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के सभी पत्रों की समीक्षा कर लें एवं उक्त पत्रों में दिये गये विभागीय निदेशों का बिन्दु वार अनुपालन तय समयसीमा के अंदर करना सुनिश्चित किया जाय।
- PDR के प्रावधान के अनुसार काम करना है और वादों का निष्पादन बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर त्वरित गति से करना सुनिश्चित करें।
- नीलाम पत्र वाद के मामले में देखा गया, सबसे पुराना वाद पूर्णिया का 20/1985–86 का है। ~~जिसमें से अपर~~ प्रभारी समाहर्त्ता (राजस्व), पूर्णिया द्वारा बताया गया यह मामला खनन से संबंधित है बकायेदार का Death हो गया है। इसे जल्द निष्पादन करने का निदेश दिया गया।
- नीलाम पत्र वाद के मामले में अररिया का सबसे पुराना वाद 36/1994–95 का पाया गया जिसमें अपर समाहर्त्ता (राजस्व) अररिया द्वारा बताया गया यह खनन से संबंधित मामला है। इसे जल्द निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

Rajesh K.
28/1/2025
(राजेश कुमार)
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

(6)

प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया।

पत्रांक—01 / रा0—11—67 / 2024.....350

प्रेषक,

राजेश कुमार, भा0प्र0से0
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज।

पूर्णिया, दिनांक 29.01.25

विषयः— **दिनांक—22.01.2025 को माननीय अध्यक्ष—सह—सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना की अध्यक्षता में V.C के माध्यम से सम्पन्न नीलाम पत्र वाद की राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में दिए गये निदेश का अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दिनांक—22.01.2025 को माननीय अध्यक्ष—सह—सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना की अध्यक्षता में V.C के माध्यम से सम्पन्न नीलाम पत्र वाद की राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में समीक्षा के क्रम में निम्न निदेश दिया गया, जिसका शीघ्र अनुपालन अपेक्षित है—

पूर्णिया प्रमंडल में लंबित नीलाम पत्र वाद एवं राजस्व न्यायालय में अन्य वाद की संख्या अधिक रहने एवं उनके त्वरित निष्पादन हेतु सबसे पहले पुराने / अधिक मांग एवं आपूर्ण पता वाले ऋणी की सूची अखबार में प्रकाशित कराई जाय।

अतएव अनुरोध है कि उक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

Raj k.
28/1/2025.

(राजेश कुमार)
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

O/C